सबसे पहले
लाइफ इंश्योरेंस

एलआईसी के जीवन अक्षय VII में निवेश कीजिए

आजीवन खुशियाँ सुनिश्चित कीजिए

एक नॉन-लिंक्ड,
असहभागी,
वैयक्तिक तात्कालिक
वार्षिकी योजना

एलआईसी की
जीवन अक्षय VII

UIN 512N337V02 प्लान नं. 857

ऑनलाइन भी उपलब्ध

डाउनलोड करें एलआईसी मोबाइल ऐप "MyLIC"

विज़िट करें: licindia.in

कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए, अपने अभिकर्ता/निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें या एसएमएस करें शहर का नाम **56767474** पर

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

हमें यहाँ फॉलो करें: YouTube LIC India Forever

IRDAI Regn No.: 512 LIC/PRA/20-21/06/HIN

एलआईसी का जीवन अक्षय-VII (UIN: 512N337V02)
(एक नॉन-लिंक्ड, गैर-सहभागी, व्यक्तिगत, तात्कालिक वार्षिकी योजना)

1. प्रस्तावना:

- यह एक तात्कालिक वार्षिकी योजना है, जिसमें पॉलिसी धारक के पास एक एकमुश्त राशि के भुगतान पर 10 उपलब्ध विकल्पों में से वार्षिकी का प्रकार चुनने का विकल्प होता है।
- वार्षिकी दरें पॉलिसी के प्रारंभ पर गारंटीकृत होती हैं और वार्षिकियाँ वार्षिकीग्राही(यों) के संपूर्ण जीवनकाल में देय हैं।

यह योजना ऑफलाइन और अनलाइन भी खरीदी जा सकती है।

2. वार्षिकी विकल्प:

इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध वार्षिकी विकल्प निम्नानुसार हैं:

विकल्प ए:	तात्कालिक वार्षिकी, आजीवन
विकल्प बी:	तात्कालिक वार्षिकी, 5 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ एवं उसके पश्चात आजीवन
विकल्प सी:	तात्कालिक वार्षिकी, 10 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ एवं उसके पश्चात आजीवन
विकल्प डी:	तात्कालिक वार्षिकी, 15 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ एवं उसके पश्चात आजीवन
विकल्प इ:	तात्कालिक वार्षिकी, 20 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ एवं उसके पश्चात आजीवन
विकल्प एफ:	तात्कालिक वार्षिकी, आजीवन के लिए, क्रय मूल्य की वापसी के साथ
विकल्प जी:	तात्कालिक वार्षिकी, आजीवन के लिए, जिसमें 3% प्रति वर्ष की सरल दर से वृद्धि
विकल्प एच:	संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी, आजीवन के लिए, प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीग्राही को वार्षिकी के 50% के प्रावधान के साथ।
विकल्प आई:	संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी, आजीवन के लिए, किसी एक वार्षिकीग्राही के उत्तरजीवित रहने तक देय वार्षिकी के 100% के प्रावधान के साथ।
विकल्प जे:	संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी, आजीवन के लिए, किसी एक वार्षिकीग्राही के उत्तरजीवित रहने तक देय वार्षिकी के 100% एवं अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी के प्रावधान के साथ।

एक बार वार्षिकी विकल्प चुन लेने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता।

3. लाभ

उपरोक्त विकल्पों के अंतर्गत देय लाभ निम्नानुसार हैं:

विकल्प	लाभ
विकल्प ए	• वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, वार्षिकी भुगतान वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, कुछ भी देय नहीं होगा और वार्षिकी का भुगतान तत्काल समाप्त होगा।
विकल्प बी,सी,डी,ई	• वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, वार्षिकी भुगतान वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। • 5/10/15/20 वर्षों की गारंटीकृत अवधि के दौरान वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, गारंटीकृत अवधि के समाप्त होने तक नामिति(यों) को वार्षिकी देय होगी। • गारंटीकृत अवधि के पश्चात वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, कुछ भी देय नहीं होगा और वार्षिकी का भुगतान तत्काल समाप्त होगा।
विकल्प एफ	• वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, वार्षिकी भुगतान वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, वार्षिकी का भुगतान तत्काल समाप्त होगा और अनुच्छेद 9 का विनिर्देशन के अनुसार वार्षिकीग्राही द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामिति(यों) को क्रय मूल्य देय होगा।
विकल्प जी	• वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, वार्षिकी भुगतान वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। पूर्ण हुए प्रत्येक पॉलिसी वर्ष के लिए वार्षिकी के भुगतान में 3% प्रति वर्ष की एक सरल दर से वृद्धि होगी। • वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, कुछ भी देय नहीं होगा और वार्षिकी का भुगतान तत्काल समाप्त होगा।
विकल्प एच	• वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, वार्षिकी भुगतान प्राथमिक वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। • प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु होने पर, द्वितीयक वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक उत्तरजीवित द्वितीयक वार्षिकीग्राही को वार्षिकी राशि का 50% देय होगा। द्वितीयक वार्षिकीग्राही की उत्तरवर्ती मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान समाप्त होंगे। • अगर द्वितीयक वार्षिकीग्राही की मृत्यु प्राथमिक वार्षिकीग्राही से पहले हो जाती है, तो वार्षिकी भुगतानों की अदायगी जारी रहेगी और प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर समाप्त होंगे।

विकल्प आई	• वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक 100% वार्षिकी राशि का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। • अंतिम उत्तरजीवित की मृत्यु होने पर, वार्षिकी भुगतान तत्काल समाप्त होंगे और कुछ भी देय नहीं होगा।
विकल्प जे	• वार्षिकी भुगतान की चयनित विधि के अनुसार, प्राथमिक वार्षिकीग्राही और/या द्वितीयक वार्षिकीग्राही के जीवित रहने तक 100% वार्षिकी राशि का भुगतान बकाया राशि के रूप में किया जाएगा। • अंतिम उत्तरजीवित की मृत्यु होने पर, वार्षिकी भुगतान तत्काल समाप्त होंगे और अनुच्छेद 9 की विनिर्देशन के अनुसार प्राथमिक वार्षिकीग्राही द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामिति(यों) को क्रय मूल्य देय होगा।

4. पात्रता मानदंड:

i. न्यूनतम क्रय मूल्य*: ₹1,00,000/– निम्नानुसार न्यूनतम वार्षिकी के अधीन।

*ध्यान रखें: उपरोक्त न्यूनतम क्रय मूल्य में निम्नानुसार न्यूनतम वार्षिकी मानदंड की पूर्ति हेतु उपयुक्त रूप से वृद्धि होगी।

₹1,50,000/– से कम के क्रय मूल्य के लिए, इस योजना के अंतर्गत दी गई वार्षिकी दरें निम्नांकित अनुच्छेद 7 में दिए अनुसार न्यूनन कारकों के साथ कम हो जाएगी।

ii. अधिकतम क्रय मूल्य : कोई सीमा नहीं

iii. प्रवेश पर न्यूनतम आयु : 30 वर्ष (पूर्णकृत)

iv. प्रवेश पर अधिकतम आयु : 85 वर्ष (पूर्णकृत) विकल्प एफ को छोड़कर
100 वर्ष (पूर्णकृत) विकल्प एफ के लिए

v. न्यूनतम वार्षिकी :

वार्षिकी विधि	मासिक	त्रैमासिक	अर्द्ध-वार्षिक	वार्षिक
न्यूनतम वार्षिकी	₹1,000 प्रति माह	₹3,000 प्रति तिमाही	₹6,000 प्रति छमाही	₹12,000 प्रति वर्ष

संयुक्त जीवन: संयुक्त जीवन वार्षिकी परिवार (जैसे दादा-दादी, माता-पिता, बच्चे, पोते-पोती) या जीवनसाथी या सहोदरों के किन्हीं दो स्वशाखीय संतति/पूर्वजों के बीच ली जा सकती है।

***विशेष मामले, जहाँ न्यूनतम वार्षिकी एवं ₹1,00,000/- का न्यूनतम क्रय मूल्य लागू नहीं होगा:**

i. यदि इस योजना को निम्नांकित अनुच्छेद 9.iii की विनिर्देशन के अनुसार आश्रित विकलांग (दिव्यांगजन) के लाभ के लिए खरीदा गया है, तो प्रस्ताव न्यूनतम वार्षिकी पर किसी भी प्रतिबंध के बिना अनुमत होगा और ऐसे मामलों में न्यूनतम क्रय मूल्य ₹50,000/- होगा। ऐसे मामलों में, वार्षिकी दरें अनुच्छेद 7 की विनिर्देशन के अनुसार किसी न्यूनन कारक के बिना लागू होंगी।

ii. यदि इस योजना को निम्नांकित अनुच्छेद 9.ii में निर्दिष्ट किए अनुसार पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित एनपीएस के सब्स्क्राइबरों द्वारा निर्गम पर खरीदा गया है, तो न्यूनतम वार्षिकी एवं न्यूनतम क्रय मूल्य पर प्रतिबंध समय-समय पर यथा संशोधित पीएफआरडीए नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।

5. वार्षिकी भुगतान की विधि:

उपलब्ध वार्षिकी की विधियाँ हैं वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक, त्रैमासिक एवं मासिक। वार्षिकी का भुगतान बकाया राशि के रूप में होगा, यानी वार्षिकी भुगतान पॉलिसी के प्रारंभ होने की तिथि से 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह और 1 माह पश्चात होगा, जो कि वार्षिकी भुगतान की विधि क्रमश: वार्षिक, अर्द्ध-वार्षिक, त्रैमासिक या मासिक होने पर निर्भर होगा।

6. प्रोत्साहन राशियाँ:

इस योजना के अंतर्गत निम्नांकित प्रोत्साहन-राशियाँ उपलब्ध हैं:

i. वार्षिकी दर में वृद्धि के माध्यम से उच्च क्रय मूल्य के लिए प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार है:

वार्षिकी की विधि	प्रति 1000/- क्रय मूल्य के लिए (₹ में)				
	5,00,000 से 9,99,999 तक	10,00,000 से 24,99,999 तक	25,00,000 से 49,99,999 तक	50,00,000 से 99,99,999 तक	1,00,00,000 एवं इससे अधिक
वार्षिक	1.25	1.85	2.20	2.35	2.45
अर्द्ध-वार्षिक	1.15	1.75	2.10	2.25	2.35
त्रैमासिक	1.10	1.70	2.05	2.20	2.30
मासिक	1.05	1.65	2.00	2.15	2.25

ii. वार्षिकी दर में वृद्धि के माध्यम से प्रत्यक्ष विक्रय के लिए प्रोत्साहन राशि निम्नानुसार है: ऑनलाइन, एनपीएस सब्स्क्राइबरों द्वारा और क्यूआरओपीएस के रूप में खरीदी गई पॉलिसियों के लिए 2% की एक छूट वार्षिकी दर में वृद्धि के द्वारा लागू होगी।

7. ₹1,50,000/– से कम के क्रय मूल्य के लिए न्यूनन कारक:

₹1,50,000/– से कम के क्रय मूल्य के लिए, इस योजना के अंतर्गत दी गई वार्षिकी दरें निम्नानुसार न्यूनन कारकों के साथ कम हो जाएगी।

क्रय मूल्य	₹1000/- क्रय मूल्य के लिए न्यूनन कारक (₹ में)
1,00,000 से कम	5.00
1,00,000 से 1,49,999	2.00

उपरोक्त न्यूनन कारक उस स्थिति में लागू नहीं होगा, जहाँ यह योजना आश्रित विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) के लाभ हेतु खरीदी गई हो।

8. उदाहरण:

क्रय मूल्य : ₹10 लाख (लागू कर छोड़कर)
प्रवेश पर वार्षिकीग्राही की आयु : 45 वर्ष (पूर्णकृत)
वार्षिकी विधि : वार्षिक
प्रवेश पर द्वितीयक वार्षिकीग्राही की आयु : 35 वर्ष (पूर्णकृत) (केवल संयुक्त जीवन वार्षिकी के लिए लागू)

वार्षिकी विकल्प	वार्षिकी राशि (₹)
विकल्प ए: तात्कालिक वार्षिकी, आजीवन के लिए	67,950
विकल्प बी: तात्कालिक वार्षिकी, 5 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ एवं उसके पश्चात आजीवन	67,850
विकल्प सी: तात्कालिक वार्षिकी, 10 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ एवं उसके पश्चात आजीवन	67,550
विकल्प डी: तात्कालिक वार्षिकी, 15 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ एवं उसके पश्चात आजीवन	67,250
विकल्प इ: तात्कालिक वार्षिकी, 20 वर्ष की गारंटीकृत अवधि के साथ एवं उसके पश्चात आजीवन	66,650
विकल्प एफ: तात्कालिक वार्षिकी, आजीवन के लिए, क्रय मूल्य की वापसी के साथ	57,950
विकल्प जी: तात्कालिक वार्षिकी, आजीवन के लिए, जिसमें 3% प्रति वर्ष की सरल दर से वृद्धि	50,650
विकल्प एच: संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी, आजीवन के लिए, प्राथमिक वार्षिकीग्राही की मृत्यु पर द्वितीयक वार्षिकीग्राही को वार्षिकी के 50% के प्रावधान के साथ।	64,650

विकल्प आई: संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी, आजीवन के लिए, किसी एक वार्षिकीग्राही के उत्तरजीवित रहने तक देय वार्षिकी के 100% के प्रावधान के साथ।	61,650
विकल्प जे: संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी, आजीवन के लिए, किसी एक वार्षिकीग्राही के उत्तरजीवित रहने तक देय वार्षिकी के 100% एवं अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर क्रय मूल्य की वापसी के प्रावधान के साथ.	57,550

उपरोक्त विकल्पों के अंतर्गत मृत्यु लाभ के लिए, कृपया उपरोक्त अनुच्छेद 3 देखें।

9. विकल्प:

i) मृत्यु लाभ के भुगतान के लिए उपलब्ध विकल्प:

वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत, जहाँ लाभ मृत्यु पर देय है, यानी विकल्प एफ एवं विकल्प जे, वार्षिकीग्राही(यों) को नामिति(यों) को मृत्यु लाभ के भुगतान हेतु निम्नांकित विकल्पों में से कोई एक चुनना होगा। फिर वार्षिकीग्राही(यों) द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामिति(यों) को मृत्यु दावा राशि का भुगतान किया जाएगा और नामिति(यों) द्वारा इसमें कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी।

- **एकमुश्त मृत्यु हितलाभ:** इस विकल्प के अंतर्गत संपूर्ण क्रय मूल्य नामिति(यों) को एकमुश्त राशि के रूप में देय होगा।

- **मृत्यु हित लाभ का वार्षिकीकरण:** इस विकल्प के अंतर्गत मृत्यु पर देय लाभ राशि, यानी क्रय मूल्य का उपयोग नामिति(यों) के लिए निगम से एक तात्कालिक वार्षिकी खरीदने हेतु किया जाएगा. मृत्यु दावा दाखिल करने पर नामिति(यों) को देय वार्षिकी राशि नामिति(यों) की आयु पर एवं वार्षिकीग्राही (संयुक्त जीवन वार्षिकी के मामले में अंतिम उत्तरजीवित) की मृत्यु होने की तिथि पर प्रचलित तात्कालिक वार्षिकी दरों पर आधारित होगी। इस विकल्प का चुनाव मृत्यु पर देय लाभ राशि के पूर्ण या आंशिक भाग के लिए किया जा सकता है। हालाँकि प्रत्येक नामिति(यों) के लिए वार्षिकी भुगतान उस समय उपलब्ध वार्षिकी योजना की पात्रता शर्तों एवं वार्षिकियों के लिए न्यूनतम सीमाओं पर तब प्रचलित विनियामक प्रावधानों के अधीन होगा।

- **किस्तों में:** इस विकल्प के अंतर्गत, मृत्यु पर देय लाभ राशि, यानी क्रय मूल्य को एकमुश्त राशि के बजाय 5 या 10 या 15 वर्ष की चयनित अवधि में किस्तों में प्राप्त किया जा सकता है। इस विकल्प का उपयोग इस पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु लाभ के लिए किया जा सकता है. वार्षिकीग्राही(यों) द्वारा चयनित राशि (यानी निवल दावा राशि) या तो एक निश्चित मूल्य के रूप में, या फिर देय कुल दावा प्राप्तियों के एक प्रतिशत के रूप में हो सकती है।

इन किस्तों का भुगतान चयनित किए अनुसार वार्षिक या अर्द्ध–वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतरालों पर अग्रिम में किया जाएगा, जो कि निम्नानुसार भुगतानों की विभिन्न विधियों के लिए न्यूनतम किस्त राशि के अधीन होगा:

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	₹5,000/-
त्रैमासिक	₹15,000/-
अर्द्ध–वार्षिक	₹25,000/-
वार्षिक	₹50,000/-

यदि निवल दावा राशि वार्षिकीग्राही(यों) द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार न्यूनतम किस्त राशि प्रदान करने हेतु आवश्यक राशि से कम होती है, तो दावा प्राप्ति का भुगतान केवल एकमुश्त राशि के रूप में होगा।

1 मई से 30 अप्रैल की 12 माह की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किस्त भुगतान विकल्पों के लिए, किस्त राशि पर पहुँचने हेतु लागू ब्याज दर वार्षिक लागू दर होगी, जो अर्ध–वार्षिक चक्रवृद्धि पर 10 वर्ष G-Sec दर प्रति वर्ष से 200 आधार पॉइंट घटाकर मिली दर के बराबर होगी; जहाँ 10 वर्ष G-Sec दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के लिए, किस्त राशि की गणना हेतु लागू ब्याज दर 4.71% लागू होगी।

उदाहरण के लिए, यदि ₹10,00,000/– की निवल दावा राशि के लिए इस विकल्प का उपयोग किया गया है, तो 1 मई, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के दौरान, शुरू होने वाले किस्त भुगतान विकल्पों के लिए अग्रिम में देय प्रत्येक किस्त की राशि निम्नानुसार होगी:

वर्षों की विनिदिष्ट संख्या	₹10,00,000 निवल दावा राशि के लिए प्रत्येक किस्त की राशि (अग्रिम में देय)			
	वार्षिक	अर्द्ध-वार्षिक	त्रैमासिक	मासिक
5	2,18,820	1,10,670	55,650	18,620
10	1,21,940	61,670	31,010	10,380
15	90,210	45,630	22,940	7,680

ii) एनपीएस सब्स्क्राइबर द्वारा वार्षिकी प्राप्त करने हेतु विकल्प:

एनपीएस सब्स्क्राइबरों के लिए पीएफआरडीए विनियमों के अनुसार अनुमोदित वार्षिकी विकल्प उपलब्ध होंगे।

यदि कोई शासकीय क्षेत्र एनपीएस सब्स्क्राइबर द्वारा एक पूर्व-निर्धारित विकल्प के रूप में इस योजना को खरीदा जाता है, तो उस सब्स्क्राइबर के लिए विकल्प जे उपलब्ध होगा, जिसका (की) जीवनसाथी, खरीदने की तिथि पर जीवित हो। सब्स्क्राइबर के जीवनसाथी के न होने पर उसके लिए विकल्प एफ उपलब्ध होगा। सब्स्क्राइबर और उसके/की जीवनसाथी की मृत्यु होने के बाद, क्रय मूल्य का उपयोग जीवित आश्रित माता/पिता के जीवन पर वार्षिकी विकल्प एफ या जे खरीदने हेतु किया जाएगा और वह उस समय उपलब्ध वार्षिकी योजना की पात्रता शर्तों के अधीन होगा।

योजना की निर्दिष्ट विशेषताओं के अधीन होकर, लागू पूर्व-निर्धारित विकल्प सहित अन्य सभी नियम व शर्तें, इस संबंध में समय-समय पर पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, और परिपत्रों आदि के अनुसार होंगे।

iii) आश्रित विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) के लाभ के लिए योजना लेने हेतु विकल्प:

यदि प्रस्तावक का/की कोई आश्रित विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन) है, तो यह योजना नामिति/द्वितीयक वार्षिकीग्राही के रूप में दिव्यांगजन के लाभ के लिए, जिस पर ₹50,000/- के न्यूनतम क्रय मूल्य की सीमा के अलावा न्यूनतम वार्षिकी भुगतान और प्रवेश पर न्यूनतम आयु (दिव्यांगजन के जीवन के लिए) पर कोई प्रतिबंध नहीं है, निम्नांकित तरीकों से खरीदी जा सकती है:

अ) प्रस्तावक अपने स्वयं के जीवन पर तात्कालिक वार्षिकी, क्रय मूल्य की वापसी के साथ (विकल्प एफ) खरीद सकता/सकती है। वार्षिकीग्राही (प्रस्तावक) की मृत्यु होने की स्थिति में, मृत्यु लाभ का उपयोग अनिवार्य रूप से दिव्यांगजन के जीवन पर तात्कालिक वार्षिकी खरीदने (वार्षिकीग्राही द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार) हेतु किया जाएगा।

ब) प्रस्तावक द्वितीयक वार्षिकीग्राही के रूप में दिव्यांगजन के साथ संयुक्त जीवन वार्षिकी (विकल्प आई या जे) खरीद सकता/सकती है।

10. क्यूआरओपीएस (योग्यता की मान्यता प्राप्त विदेशी पेन्शन योजना) के रूप में क्रय योजना:

यह योजना क्यूआरओपीएस के रूप में, यूके कर राहतप्राप्त संपत्तियों के अंतरण के माध्यम से खरीदी जा सकती है, जो एचएमआरसी (हर मजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स) द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों एवं सूचीकरण के अधीन होगा, जैसे:

i. न्यूनतम आयु 55 वर्ष होगी।

ii. यदि पॉलिसी निःशर्त अवलोकन अवधि के दौरान निरस्त किया जाता है, तो निरस्तीकरण से प्राप्तियाँ केवल उसी फंड हाउस को वापस अंतरित की जाएगी, जहाँ से पैसे प्राप्त हुए थे।

iii. समय-समय पर लागू अनुसार एचएमआरसी के अन्य नियम व शर्तें भी लागू होंगे।

11. पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन्स-लाइफ इंश्योरेन्स (पीओएसपी-एलआई) के माध्यम से क्रय योजना:

यह योजना पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन्स-लाइफ इंश्योरेन्स (पीओएसपी-एलआई) से खरीदी जा सकती है। अनुमत वार्षिकी विकल्प, पात्रता शर्तें एवं अन्य नियम व शर्तें, आईआरडीएआई द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, परिपत्रों एवं विनियमों आदि, जो पीओएस योजनाओं एवं पीओएसपी-एलआई के लिए लागू हों, के अनुसार होंगे।

वर्तमान में, योजना की विशेषताएँ/मानदंड/पात्रता शर्तें निम्नानुसार हैं:

अनुमत तात्कालिक वार्षिकी विकल्प का प्रकार	: केवल विकल्प एफ एवं जे
प्रवेश पर न्यूनतम आयु	: 40 वर्ष (पूर्णकृत)
प्रवेश पर अधिकतम आयु	: 70 वर्ष (पूर्णकृत)

12. अभ्यर्पण मूल्य:

केवल निम्नांकित वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत, इस पॉलिसी को पॉलिसी की पूर्णता से तीन माह (यानी पॉलिसी के जारी होने की तिथि से 3 माह) पश्चात या फ्री-लुक अवधि समाप्त होने के पश्चात, जो भी बाद में हो, किसी भी समय अभ्यर्पित किया जा सकता है:

- विकल्प एफ: जीवन के लिए तात्कालिक वार्षिकी, क्रय मूल्य की वापसी के साथ।
- विकल्प जे: आजीवन के लिए संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी, किसी एक वार्षिकीग्राही के उत्तरजीवित रहने तक 100% वार्षिकी देय होने और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के प्रावधान के साथ।

देय अभ्यर्पण मूल्य पॉलिसी के अभ्यर्पण के समय पर वार्षिकीग्राही की आयु (विगत जन्मदिन) पर आधारित होगा।

यदि चुना गया वार्षिकी विकल्प उपरोक्त के अलावा है, तो पॉलिसी के अभ्यर्पण की अनुमति नहीं होगी।

अभ्यर्पण मूल्य के भुगतान पर, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और अन्य सभी लाभ स्थगित हो जाएँगे।

अभ्यर्पण मूल्य समीक्षा-योग्य है और इसका निर्धारण निगम द्वारा समय-समय पर किया जाएगा, जो आईआरडीएआई के पूर्व-अनुमोदन के अधीन होगा।

निगम इस संबंध में अपनी पॉलिसी के अनुसार समय–समय पर अभ्यर्पण की शर्तों की समीक्षा कर सकता है।

एनपीएस या क्यूआरओपीएस के मामले में, अभ्यर्पण के प्रावधान संबंधित विनियाम क/प्राधिकारी (पीएफआरडीए/एचएमआरसी) के नियमों एवं विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं से संबंधित किन्हीं विशिष्ट प्रावधानों के अधीन होंगे।

ध्यान रखें: एक दीर्घकालीन संविदा होने के नाते बीमा पॉलिसी को पॉलिसी जारी रखने के दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य से लेना चाहिए। हालाँकि उपरोक्त विभिन्न वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत अभ्यर्पण के लिए प्रावधान है, फिर भी यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी पॉलिसी के अभ्यर्पण पर बड़ा नुकसान हो सकता है और इसलिए, पॉलिसी जारी रखने की सलाह दी जाती है।

13. ऋण:

ऋण सुविधा पॉलिसी के पूरी होने से तीन माह (यानी पॉलिसी जारी होने की तिथि से 3 माह) बाद या निःशुल्क अवलोकन अवधि समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, किसी भी समय ऋण सुविधा उपलब्ध होगी, जो समय–समय पर निगम द्वारा विनिर्देशन नियमों व शर्तों के अधीन होगी।

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, पॉलिसी ऋण की अनुमति केवल निम्नांकित वार्षिकी विकल्पों के अंतर्गत होगी:

- विकल्प एफ: जीवन के लिए तात्कालिक वार्षिकी, क्रय मूल्य की वापसी के साथ।
- विकल्प जे: जीवन के लिए संयुक्त जीवन तात्कालिक वार्षिकी, किसी एक वार्षिकीग्राही के उत्तरजीवित रहने तक 100% वार्षिकी देय होने और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु होने पर क्रय मूल्य की वापसी के प्रावधान के साथ।

ऋण की अधिकतम राशि, जो पॉलिसी के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है, वह ऐसी होगी कि ऋण पर एक वर्ष में देय लागू वार्षिक ब्याज राशि वार्षिकी राशि के 50% से अधिक नहीं हो और वह अभ्यर्पण मूल्य के अधिकतम 80% के अन्दर होगी। ऋण ब्याज की वसूली इस पॉलिसी के अंतर्गत देय वार्षिकी राशि से की जाएगी। ऋण बकाया की वसूली निर्गम के समय दावा प्राप्तियों से की जाएगी।

1 मई से 30 अप्रैल की अवधि में 12 माह के दौरान शुरू होने वाले सभी ऋणों के लिए ऋण ब्याज, वार्षिक लागू दर होगी, जो अर्धवार्षिक वक्रवृद्धि पर 10 वर्ष G-Sec दर प्रति वर्ष के साथ 300 आधार पॉइंट जोड़कर मिली दर से अधिक नहीं होगी। 10 वर्ष G-Sec दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यापारिक दिवस के अनुसार होगी। परिकलित ब्याज दर ऋण की पूर्ण अवधि के लिए लागू होगी।

1 मई, 2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक शुरू होने वाली 12 माह की अवधि के दौरान स्वीकृत ऋण के लिए ऋण की संपूर्ण अवधि हेतु लागू ब्याज दर 9.50% प्रति वर्ष लागू होगी।

पॉलिसी ऋण के लिए ब्याज दर के निर्धारण के आधार में कोई भी परिवर्तन आईआरडीएआई के पूर्व–अनुमोदन के अधीन होगा।

14. कर:

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर भारित वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों के अनुसार होंगे और समय–समय पर लागू कर की दर के अनुसार होगी।

इस पॉलिसी के अंतर्गत देय क्रय मूल्य पर प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि पॉलिसीधारक द्वारा देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय क्रय मूल्य के अलावा अलग से संग्रहित किया जाएगा। भुगतान की गई कर की राशि पर इस योजना के अंतर्गत देय लाभों की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

15. निःशुल्क अवलोकन अवधि:

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो आपत्तियों का कारण बताते हुए पॉलिसी बॉण्ड की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर (अगर यह पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी जाती है, तो 30 दिन) पॉलिसी निगम को वापस लौटाई जा सकती है। पॉलिसी वापस प्राप्त होने पर, निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और स्टाम्प शुल्क एवं भुगतान हो चुकी वार्षिकी, यदि कोई हो, की कटौती करने के बाद भुगतान किया गया क्रय मूल्य वापस लौटा दिया जाएगा. पॉलिसी पर निम्नानुसार व्यवहार होगा:

अ) स्वचलित तात्कालिक वार्षिकी पॉलिसियों के लिए, निरस्तीकरण से हुई प्राप्तियाँ पॉलिसी धारक को लौटा दी जाएगी।
ब) यदि पॉलिसी किसी अन्य बीमा कंपनी की किसी आस्थगित पेन्शन योजना की प्राप्तियों से खरीदी गई है: निरस्तीकरण से हुई प्राप्तियाँ उस बीमा कंपनी को वापस अंतरित कर दी जाएगी।

एनपीएस या क्यूआरओपीएस के मामले में, फ्री लुक के प्रावधान, संबंधित विनियाम क/प्राधिकारी (पीएफआरडीए/एचएमआरसी) के नियमों एवं विनियमों के अनुसार प्रक्रियाओं से संबंधित किन्हीं विशिष्ट प्रावधानों के अधीन होंगे।

16. बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 45

बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 45 के प्रावधान समय–समय पर संशोधन अनुसार होंगे. इस प्रावधान का सरलीकृत संस्करण निम्नानुसार है:

बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 45 के अनुसार पॉलिसी से संबंधित सवाल न उठाए जाने वाले प्रावधान निम्नानुसार हैं:

1. निम्नांकित से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी विषय में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा:

क. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या
ख. जोखिम प्रारंभ होने की तिथि, या
ग. पॉलिसी के पुनर्चलित की तिथि, या
घ. पॉलिसी के लिए अनुवृद्धि की तिथि
जो भी बाद में हो

2. धोखाधड़ी के आधार पर, जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर निम्नांकित से 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है:

क. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या
ख. जोखिम प्रारंभ होने की तिथि, या
ग. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि, या
घ. पॉलिसी के लिए अनुवृद्धि की तिथि
जो भी बाद में हो

इसके लिए, बीमाकर्ता को उस आधार एवं सामग्रियों का उल्लेख करते हुए, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित है, बीमित को या बीमित के वैधानिक प्रतिनिधि या नामिती या समनुदेशिती, जैसा भी लागू हो, को लिखित में सूचना देनी चाहिए।

3. धोखाधड़ी का आशय निम्नांकित में से कोई भी कृत्य, जो बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा, बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु अभिप्रेरित करने की इरादे से किया जाता है:

क. सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;
ख. उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;
ग. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं
घ. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

4. केवल मौन रहना तब तक धोखाधड़ी नहीं है, जब तक मामले की परिस्थितियों के आधार पर, बोलने से मौन रहना बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का कर्त्तव्य है या मौन रहना अपने आपमें बोलने के समकक्ष हो।

5. किसी भी बीमाकर्ता द्वारा किसी जीवन बीमा पॉलिसी का प्रत्याख्यान धोखाधड़ी के आधार पर नहीं किया जाएगा, यदि बीमित व्यक्ति / लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि गलत–बयानी उसकी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य थी और उस तथ्य को दबाकर रखने की कोई जान–बूझकर इरादा नहीं थी या उस महत्वपूर्ण तथ्य की ऐसी गलत–बयानी या उसे दबाकर रखना बीमाकर्ता की जानकारी में था। खंडन करने का दायित्व जीवित होने पर पॉलिसीधारक का, या फिर लाभार्थी का है।

6. जीवन बीमा पॉलिसी पर इस आधार पर 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है, कि बीमित व्यक्ति की आयु संभाविता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना या उसकी गलत–बयानी उस प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज में गलत रूप से की गई थी, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या अनुवृद्धि जारी किया गया था। इसके लिए, बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को, जैसा लागू हो, लिखित में सूचना दी जानी चाहिए, जिसमें उस आधार या सामग्रियों का उल्लेख हो, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी का प्रत्याख्यान करने का निर्णय लिया गया है।

7. यदि प्रत्याख्यान गलत–बयानी के आधार पर किया जाए और धोखाधड़ी के आधार पर नहीं, तो ऐसी स्थिति में, प्रत्याख्यान की तिथि तक पॉलिसी पर संग्रहित प्रीमियम का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को प्रत्याख्यान की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

8. तथ्य को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक वह बीमाकर्ता द्वारा लिए गए जोखिम पर प्रत्यक्ष भार न डालता हो। यह दर्शाने का कर्त्तव्य बीमाकर्ता का है, कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

9. बीमाकर्ता द्वारा किसी भी समय आयु का प्रमाण माँगा जा सकता है, यदि वह ऐसा करने का पात्र है और केवल पॉलिसी की शर्तें जीवन बीमित व्यक्ति की आयु के परवर्ती प्रमाण पर समायोजित होने को ही किसी भी पॉलिसी पर सवाल उठाया जाना नहीं समझा जाएगा। इसलिए, यह अनुच्छेद आयु पर सवाल उठाए जाने या परवर्ती रूप से जमा करवाए गए आयु के प्रमाण पर आधारित समायोजन किए जाने के लिए लागू नहीं होगा।

(अस्वीकरण: यह बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 की व्यापक सूची नहीं है और केवल सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया सरलीकृत संस्करण है। पॉलिसी धारकों को पूर्ण और सटीक विवरण के लिए बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 45 को देखने की सलाह दी जाती है।)

17. छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 41):

1) कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के संदर्भ में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने के लिए, देय कमीशन पर संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम पर कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं देगा या प्रमोशन देने की प्रस्ताव नहीं करेगा और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी लेगा या उसका नवीनीकरण करवाएगा या उसे जारी रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो :

2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला कोई भी व्यक्ति जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है. अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय पर संपर्क करें।
यह पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने के लिए www.licindia.in पर लॉग ऑन करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में संलग्न नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएँ।

www.licindia.in

Registered Office:
Life Insurance Corporation of India
Central Office, Yogakshema,
Jeevan Bima Marg, Mumbai-400021
Website: www.licindia.in
Registration Number: 512